

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :- श्री मोतीलाल

वनाम

विपक्षी :- श्री केसरसिंह

किस्म मुकदमा - 128 भू.रा.अधि.

पत्रावली संख्या : 19/23

कमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 27.08.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 8 उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 7, 9 अनुपस्थित। आवाजें दिलवाई गईं। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 7, 9 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी संख्या 8 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया गया। अतः विपक्षी संख्या 8 के जवाब का अवसर बंद किया जाता है। विपक्षी संख्या 10 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार हैं। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पड़ोसी हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि का प्रार्थी एवं विपक्षीगण के बीच पुख्ता सिमाकन नहीं होने से प्रार्थी पक्की पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थी के कथनानुसार विपक्षीगण तारबंदी करवाने का विरोध करते हैं जिससे प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया है। अतः विवाद समाप्त के लिए प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

-: आदेश :-

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078-81 की खाता संख्या नया 1389 की आराजी न. 30 किता 1 रकवा 6.4800 है। भूमि की चारों दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकन कराया जावे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/- एक हजार रुपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है तो प्रार्थीगण कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थीगण अदा करेंगे।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

